

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 56 / 2014

दर्ज दिनांक:—04.06.2014

1. यादवसिंह पता— .....प्राथी

बनाम

2. परमिन्दर पता— .....अप्राथीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—08.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट जाटोली स्थान पर पेश। पटवारी /तहसीलदार भरतपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार वादी यादवसिंह की मृत्यु से पूर्व आराजी को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दिया है। इस कारण प्राथमिक डिक्री व राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों में अन्तर है।

वादी की तरफ से उसके जीवित विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा स्वयं को पक्षकार मुकदमा बनाने का प्रार्थना पत्र 0.22. R3.CPC एवं क्रेताओं द्वारा भी पक्षकार मुकदमा बनने का प्रार्थना पत्र 0-1-R10.CPC पत्रावली पर पेश नहीं है।

अतः दावा वादी इसी स्टेज पर आदेश 09 नियम R5.CPC के तहत इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.है।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर